

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लयि गए कई महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यौं?

30 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोट की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजति हुई, जसिमें नवीन ज़िलों के गठन पर चर्चा, वदियालयों में संवधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मकों के हति में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बडि

- मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लयि बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रपिर्ट पर चर्चा हुई। इन नवीन ज़िलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी। विकास संबंधी योजनाओं का क्रयिान्वयन और मॉनटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जसिसे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुवधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मलि सकेगा।
- वदिति है कडि बार के बजट में 19 ज़िलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में रामलुभाया समति द्वारा प्रस्तुत की गई रपिर्ट, वभिन्नि क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा नरिधारण के संबंध में चर्चा की गई।
- मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक वदियालय में संवधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का नरिणय लयि गया है।
 - इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संवधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रियता पर वशिवास तथा गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। पाठन वदियालयों में प्रतिशिनवार 'नो बैग डे' कयि जाएगा।
 - नई प्रकाशति होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संवधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशति कयि जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने 'दी राजस्थान आईएलडी सकलिस यूनवरसिटी, जयपुर (चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट) बलि-2023' के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी सकलिस यूनवरसिटी का नाम 'दी वशिक्करमा सकलिस यूनवरसिटी' करने का नरिणय लयि है।
 - इससे कुलपति की नयिक्त की प्रक्रयि, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लयि ऑर्डर्निंस लाने आदि की प्रक्रयि शुरू हो सकेगी।
 - इस नरिणय से वशिक्कवदियालय का कार्य सुगमता और त्वरति गति से हो सकेगा। मंत्रिमण्डल की इस स्वीकृति से यह वधियक वधानसभा में प्रस्तुत कयि जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतन) नयिम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मकि की पदोन्नतयि एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नयित हो सकेगा। इससे कार्मकि के वेतन में वृद्धि होगी।
 - साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तथियि (1 जनवरी और 1 जुलाई) नरिधारति की गई है। इससे कार्मकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मलि जाएगी। इन संशोधनों से वभिन्नि सेवाओं के पदनाम भी सेवा नयिमों के अनुरूप हो जाएंगे।
- मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थयिों को अधिक-से-अधिक नयिोजति करने और शीघ्रलपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लपिकिवर्गीय सेवा नयिम 1999, राजस्थान सचवालय लपिकिवर्गीय सेवा नयिम 1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (लपिकिवर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नयिम और वनियिम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
 - इसके अंतर्गत शासन सचवालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधति मंत्रालयकि सेवा नयिमों में शीघ्रलपिकि/नजि सहायक ग्रेड-II के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान कयि गया है।
 - साथ ही, फेज-II के लयि वजिजापति पदों में 15 गुणा वदियार्थयिों को सम्मलति करने तथा शीघ्रलपिकि वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी कयि गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने महिला राजकीय कार्मकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानयिों से राहत देने के लयि राजस्थान सविलि सर्वसिज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूलस, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि है।
 - उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी, जसिको राजकीय आवास आवंटति कयि जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य करिए पर रख सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नयिम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नयिम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतयिोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती नयिम-1999) में परशिषिट 'च' में संशोधन कर इनमें 'उद्योग वभिग' का नाम 'उद्योग एवं वाणजिय वभिग' करने का नरिणय लयि है। नाम परिवर्तन होने से वभिग के अधिकारयिों का पदनाम भी संशोधति हो जाएगा।

